दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

प्रधान संपादक

डॉ. अश्विनी महाजन

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संपादक

डॉ. प्रसून दत्त सिंह

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी

डॉ. फूल चन्द

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

दृष्टिकोण प्रकाशन

वर्ष : 13 अंक : 1 ❑ जनवरी–फरवरी, 2021

दृष्टिकोण

संपादक मंडल

डॉ. अरुण अग्रवाल
ट्रेन्ट विश्वविद्यालय, पीटरबरो, ओंटारियो
डॉ. दया शंकर तिवारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ. प्रकाश सिन्हा
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
डॉ. दीपक त्यागी
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर
डॉ. अरुण कुमार
रांची विश्वविद्यालय, रांची
डॉ. महेश कुमार सिंह
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका
डॉ. हरिश्चन्द्र अग्रहरि
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
डॉ. पूनम सिंह
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
डॉ. एस. के. सिंह
पटना विश्वविद्यालय, पटना
डॉ. अनिल कुमार सिंह
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा
डॉ. मिथिलेश्वर
वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
डॉ. अमर कान्त सिंह
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
डॉ. ऋतेश भारद्वाज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. स्वदेश सिंह
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. विजय प्रताप सिंह
छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

संपादकीय सम्पर्क:
448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091

©Editorial India
Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

ISSN 0975-119X

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

दृष्टिकोण

महाभोज : परत दर परत टूटता विश्वास–विनोद कुमार; प्रो० डॉ० मिंत 1057
अरुण कमल की कविताओं में नव युगबोध–मिथिलेश कुमार मिश्र 1060
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के माध्यमिक स्तर के अनाथ व सनाथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन–कुलदीप; डॉ० कालिंदी लाल चंदानी 1063
पं. द्वारिका प्रसाद तिवारी 'विप्र' के साहित्य में सामाजिक चेतना–मुरली सिंह ठाकुर; डॉ० स्नेहलता निर्मलकर 1068
उच्च माध्यमिक स्तर के महिला शिक्षकों में जीवन कौशल के प्रति अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन–प्रो० मंजू शर्मा; मधु देवी 1072
वीर रानी के रूप में रुद्रमा देवी का मूल्यांकन–प्रो. देवेंद्र कुमार गुप्ता; सुमिति सैनी 1078
हास्य एवं व्यंग्य का प्रतिरूप सिरमौरी लोक गायन शैली शिटणा–प्रो. पी.एन. बंसल; विनोद कुमार 1081
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए किए गये सरकारी प्रयास एवं वर्तमान स्थिति–अच्युत कुमार यादव 1086
असमिया साहित्य में रोमांटिसिज्म के प्रभाव (चंद्रकुमार आगरवाला के कविताओं के विशेष संदर्भ में)–दिगंत बोरा 1090
असाध्य वीणा का सामाजिक पाठ–डॉ. आकाश वर्मा 1094
कोरोना महामारी काल मे पुस्तकालयो में डिजिटल तकनीको का महत्व और उपयोग–डॉ. संजय डी. रायबोले 1098
असम का लोकनाट्य: पुतलाभिनय या पुतला नृत्य–डॉ. परिस्मिता बरदलै 1101
भोजपुरी लोकगीतों में स्त्री–डॉ. आकाश वर्मा 1104
"स्माल सिनेमा" बनाम "मालेगांव का सिनेमा"–डॉ. मनीष कुमार मिश्रा 1110
विश्वशांति बनाए रखने में विभिन्न धर्मों की भूमिका–डॉ० सुनिता कुमारी 1115
दलित चेतना का प्रतीक झलकारी बाई: एक अनुशीलन–बबली कुमारी 1118
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जनसंचार की भूमिका–देवेन्दु आलोक 1122
चम्पारण के नील संघर्ष में गांधीजी की भूमिका: एक ऐतिहासिक पुनर्मूल्यांकन–धीरज कुमार 1126
रबीन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी: एक शैक्षणिक स्थिति से शिक्षा पर उनके प्रभाव–गुड्डू कुमार सिंह; डॉ. अलका कुमारी 1131
भूगोल में फेनोमेनॉलॉजी : एक चिन्तन फलक–डॉ० श्री कमलजी 1138
बदलते परिवेश में मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में स्त्री विमर्श के विविध आयाम–प्रोफेसर लता सुमन्त; प्रमोद कुमार सिंह 1140
नासिरा शर्मा का व्यक्तित्व व कृतित्व–प्रोफेसर लता सुमन्त; राजेश कुमार पटेल 1146
मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में चित्रित नारी की राजनीतिक चेतना–डॉ. महेन्द्र कुमार त्रिपाठी; नीलम देवी 1151
बुद्ध दर्शन और पश्चिमी मनोविज्ञान–डॉ० मनोज कुमार 1154
गांधीजी का स्वराज एवं सत्याग्रह : रंग-भेद नीति के विरूद्ध निर्णायक शस्त्र–निवेदिता कुमारी 1158
मुगल काल में इतिहास लेखन–डॉ० राघवेन्द्र यादव 1162
प्राचीन बिहार के बौद्ध महाविहार ओदन्तपुरी: एक शैक्षणिक अवलोकन–राहुल कुमार झा 1165
बिहार के पुराने गया जिले के क्षेत्र में नक्सलवादी गतिविधि–सचिन कुमार 1169
भारत की नई शिक्षा नीति - 2020 : आवश्यकता, प्रभाव एवं चुनौतियां–संजय हिरवे; आशुतोष पाण्डेय 1173
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन–तौकीर आलम 1177
प्राचीन बिहार में राजतंत्र एवं गणतंत्र की अवस्थाएँ–डॉ० संजीव 1181
''जनहित याचिका'' मानवाधिकारों का संरक्षक : एक अध्ययन–दीपक कुमार कोठरीवाल 1183
प्रगतिशील आंदोलन की जागृति–डॉ. आशा तिवारी ओझा 1186
भारत में बाढ़ की समस्या और समाधान–डॉ० सीमा सहदेव 1189
भारत सहित अन्य देशों पर कोरोना वायरस (कोविद-19) प्रभाव–श्रीमती मीनाक्षी 1195
रत्न आभूषण उद्योग : एक भू-आर्थिक विश्लेषण–अक्षय राज 1201
जीएसटी अवलोकन - भारत में माल और सेवा: जीएसटी आईटीसी–डॉ० अनामिका तिवारी; डॉ० संजय कुमार सिंह 1205
छत्तीसगढ़ कानून, नीतियां और न्यायिक दृष्टिकोण, पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण–आकांक्षा गर्ग अग्रवाल; डॉ. (प्रो.) जे. के. पटेल 1210
अष्ट चामुण्डा - अग्निपुराण के विशेष सन्दर्भ में–प्रो. प्रभात कुमार; कल्पना देवी 1216
पाणिनि अष्टाध्यायी में वर्णित जनपदीय कृषि का विवेचन–डॉ. प्रशान्त कुमार; डॉ. दुर्वेश कुमार 1221
रीती काल के अग्रदूत: महाकवि केशवदास–सोमबीर 1227

भारत की नई शिक्षा नीति - 2020 : आवश्यकता, प्रभाव एवं चुनौतियां

संजय हिरवे

शोध छात्र, समाज विज्ञान अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

आशुतोष पाण्डेय

शोध छात्र, समाज विज्ञान अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

सारांश

मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ उच्च शिक्षा के बढ़ते महत्व एवं विस्तार को सुचारू रूप से जारी रखते हुए शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं। नए वक्त के साथ शिक्षा नीति में अनेकों बुनियादी परिवर्तन देखने को मिले हैं, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान अवश्य करेंगे। नई शिक्षा नीति-2020 में रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए व्यक्ति की बहुमुखी प्रतिभा को निखारने एवं संवारने हेतु अत्यंत उपयोगी बदलाव किए गए हैं। नवीन शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूल एवं उच्च शिक्षा हेतु परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त होगा।

इस शोध पत्र के माध्यम से भारत की नवीन शिक्षा नीति-2020 के विषय में जानकारी एकत्रित की गई है। साथ ही इसके महत्व एवं होने वाले प्रभाव की चर्चा करते हुए वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता पर भी विचार प्रस्तुत किया गया है।

भारत सरकार ने नवीन शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से वर्ष 1986 में निर्मित शिक्षा नीति में आई कमियों को दूर करने का एक अभूतपूर्व प्रयास किया है। नवीन शिक्षा नीति-2020 शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गांधी के 'आत्मा के सर्वांगीण विकास' के सिद्धांत एवं स्वामी विवेकानंद के 'पूर्णता की अभिव्यक्ति' के सिद्धांत पर आधारित है।

वर्तमान में यह विचारणीय है कि नवीन शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्य उपर्युक्त उद्देश्यों को पूर्ण करने में अपना कितना योगदान देते हैं।

भारत में वर्ष 1986 में बनी शिक्षा नीति, जिसे वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था, वर्तमान समय तक कार्य कर रही थी। किंतु समय के साथ-साथ धीरे-धीरे ही सही इसमें आई कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एवं शिक्षा के बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन करने हेतु यह बदलाव आवश्यक समझा गया।

बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी एवं नौकरियों पर निर्भरता ने शिक्षा के मूलभूत स्वरूप को एक अलग ही दिशा दे दी थी। अत: आवश्यक हो गया था कि इस स्वरूप को परिवर्तित कर इसे रोजगार उन्मुखी, कौशल के विकास का माध्यम एवं तकनीकी प्रशिक्षण का केंद्र बनाते हुए जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराया जाए।

इस विचार को मूर्त रूप देने हेतु नवीन शिक्षा नीति-2020 के निर्माण के लिए वर्ष 2017 में इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिस ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। शिक्षा नीति-2020, वर्ष 1968 एवं वर्ष 1986 के बाद की भारत की तीसरी शिक्षा नीति है।

नई शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधान

वर्ष 1986 की शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा के ढांचे को 1023 में विभाजित किया गया था। प्रारंभिक 10 वर्षों में से 5 वर्ष प्राथमिक शिक्षा हेतु तथा बाद के 5 वर्षों में से 3 वर्ष उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु तथा 2 वर्ष हाई स्कूल के लिए निर्धारित किए गए थे। 10 वर्षिय शिक्षा के पश्चात 2 वर्ष इंटरमीडिएट शिक्षा हेतु तथा अंतिम की 3 वर्ष स्नातक की शिक्षा हेतु रखे गए थे। उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच आपसी समन्वयन हेतु अनेक परिषदों का निर्माण किया गया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) को इनके निगरानी तंत्र के रूप में विकसित किया गया।

वास्तव में यह शिक्षा व्यवस्था की एक राष्ट्रीय प्रणाली थी अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था। इस योजना के माध्यम से महिला शिक्षा हेतु भरसक प्रयास किए गए साथ ही निर्धन परिवार के बच्चों हेतु 14 वर्षीय अनिवार्य शिक्षण कार्यक्रम भी चलाए गए। अनुसूचित जाति और जनजातियों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार एवं विस्तार हेतु ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं रोजगार गारंटी योजना भी चलाई गई। इस शिक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था। वर्ष 1986 की शिक्षा नीति देश की पहली ऐसी शिक्षा नीति थी जिसके साथ इसे पूर्ण करने की योजना को भी प्रकाशित किया गया था।

दृष्टिकोण

वास्तव में इस शिक्षा नीति का निर्माण वर्ष 1977 में हुआ, जिसे वर्ष 1979 में घोषित किया गया तथा संसद में पास होने के दौरान वर्ष 1986 में इसे प्रकाशित किया गया। अत: समय के साथ साथ अनेकों परिवर्तनों एवं कंप्यूटर क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसने शिक्षा के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को महसूस कराया। इसी आवश्यकता को ध्यान रखते हुए पूर्व से चली आ रही इस शिक्षा नीति में बदलाव शिक्षा नीति-2020 द्वारा किए गए, जिसके महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न है -

A. स्कूली शिक्षा हेतु प्रावधान

- 3 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु समूह के बच्चों हेतु 5+3+3+4 वर्षीय शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
- उपर्युक्त अवधारणा के प्रारंभिक 5 वर्षों को फाउंडेशन स्टेज के लिए निर्धारित किया गया है। जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है-
    1. इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा-1 से पहले अर्थात 3-6 वर्ष से कम आयु हेतु आँगनवाड़ी/बालवाटिका/प्री-स्कूल के माध्यम से सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण तथा मुफ्त में 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' या 'Early Childhood Care and Education-ECCE' को सुनिश्चित किया गया है। 'ECCE' हेतु योजना निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सामूहिक रूप से किया जाएगा।
    2. 6-8 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-1 एवं कक्षा-2 की शिक्षा दी जाएगी।
- 3 वर्षीय प्रीपेट्री स्टेज को दिए गए है। जिसके अंतर्गत कक्षा-3 से कक्षा-4 एवं कक्षा-5 तक को शामिल किया गया।

  वर्ष 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से कक्षा-3 तक के सभी बच्चों हेतु MHRD द्वारा एक राष्ट्रीय मिशन की योजना तैयार की जाएगी।

  नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा-5 तक के छात्रों हेतु मातृभाषा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अपनाने का सुझाव भी दिया गया है।
- 3 वर्षीय मध्य उच्च प्राथमिक चरण अर्थात मिडिल स्कूल के लिए निर्धारित किए गए है, जिसमें कक्षा-6 कक्षा-7 तथा कक्षा-8 को शामिल किया गया है।

  इस चरण के अंतर्गत कक्षा-6 के पश्चात बच्चों में 21वीं सदी के अनुसार कौशल के विकास को ध्यान रखते हुए कोडिंग कोर्स प्रारंभ किये जाएंगे।

  स्कूली शिक्षा के इस चरण के अंतर्गत वोकेशनल कोर्स पर भी ध्यान दिया गया है, जिसके अंतर्गत स्थानीय व्यवसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ बैगलेस पीरियड को भी नई शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया गया है।

  मातृभाषा को कक्षा-8 तथा आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव भी इस नीति में दिया गया है।
- अंतिम चरण में स्कूली शिक्षा के 4 वर्ष उच्च शिक्षा को दिए गए हैं। जिसमें कक्षा-9, कक्षा-10, कक्षा-11 एवं कक्षा-12 को शामिल किया गया है।
- 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' द्वारा स्कूली शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा।
- छात्र कक्षा-3 कक्षा-5 तथा कक्षा-8 में प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षाओं में भाग लेंगे, साथ ही छात्रों के समग्र विकास को ध्यान रखते हुए कक्षा-10 एवं कक्षा-12 की योजनाओं में भी परिवर्तन किया जाएगा। कक्षा-10 एवं कक्षा-12 की परीक्षा योजना में बदलाव के संदर्भ में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों के मूल्यांकन एवं शैक्षणिक प्रगति को ध्यान रखने हेतु 'PARAKH' नामक 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' स्थापित किया जाएगा।

B. उच्च शिक्षा हेतु प्रावधान

- उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात (G.E.R.) को बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, वर्ष 2018 तक यह 26.3% था।
- स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट को स्वीकारा गया है अर्थात 1 वर्ष के बाद कक्षा छोड़ने पर प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद छोड़ने पर एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद छोड़ने पर स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक समझा जाएगा।
- शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' की स्थापना की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से एम.फिल. शिक्षा को पूर्णत: समाप्त कर दिया गया है।
- 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटली रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।
- भारतीय भाषाओं को संरक्षण देने के हिसाब से एवं उन्हें जीवंत बनाए रखने हेतु नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी एवं प्राकृत भाषाओं के लिए एक 'इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन-IITI' की स्थापना करने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से संस्कृत एवं आदि भाषाओं के विकास की योजना को सुचारू रूप से जारी रखने की सिफारिश की गई है।
- एक 'राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम' की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से ई-पाठ्यक्रम एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विकास तथा साथ ही वर्चुअल लैब की व्यवस्था भी की जाएगी।

उच्च शिक्षा आयोग में परिवर्तन

वर्ष 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही भारत में उच्च शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने एवं उस पर नियंत्रण हेतु कार्यरत संस्था थी। इस कार्य को विधिवत रूप से संपूर्ण करने के लिए यू.जी.सी. को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों का सहयोग भी प्राप्त था जो निम्न स्थानों पर है-पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलुरु।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नवीन बदलाव एवं उच्च शिक्षा प्रत्यायन के कार्य को यूजीसी निम्न परिषदों की सहायता से करती थी- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद्, भारतीय पुनर्वास परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् आदि।

नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार संपूर्ण भारत में स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों पर नियंत्रण हेतु एक एकल नियामक आयोग अर्थात 'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद' की अवधारणा को रखा गया है, जिसके अपने अनेकों कार्य क्षेत्र होंगे। इस नवीन तंत्र से भारतीय चिकित्सा शिक्षा एवं कानूनी शिक्षा को मुक्त रखा गया है।

'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद' के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु एक ढाँचा तैयार किया गया जिसके अंतर्गत निम्न परिषदें कार्य करेंगी -

1. सामान्य शिक्षा परिषद-General EducationCouncil मानक निर्धारण हेतु।
2. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद-National Higher Education Regulatory Council उच्च शिक्षा विनियमन हेतु।
3. राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद-National Accreditational Council प्रत्यायन कार्य हेतु।
4. उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद-Higher Education Grant Council महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के वित्तपोषक के रूप में।

नवीन शिक्षा नीति की आवश्यकता

'परिवर्तन ही उन्नति है' की सार्थकता को स्वीकार करते हुए शिक्षा नीति में भी परिवर्तन उसे उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे। इस परिवर्तन के लिए मुख्य कारण निम्न है -

1. सतत विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शिक्षा के बढ़ते योगदान हेतु यह शिक्षा व्यवस्था आवश्यक समझी गई, ताकि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से स्वयं के विकास के साथ-साथ भारत के विकास में भी भागीदार बन सके।
2. प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास हेतु एवं उन्हें वैश्विक स्तर के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा नीति-2020 को एक आवश्यक कदम समझा गया।
3. तकनीकी रूप से परिपूर्ण इस समय में विज्ञान एवं अनुसंधान को एक नवीन दिशा देने एवं नये विचारों के सृजन हेतु शिक्षा व्यवस्था को एक तकनीकी सक्षम ढांचे की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, अत: वर्तमान समय की मांग को देखते हुए यह बदलाव आवश्यक समझा गया।
4. 1986 की शिक्षा नीति इंटरनेट क्रांति के पहले लागू की गई थी, जिसके चलते हम तकनीकी रूप से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं प्रौद्योगिकी के विकास में पिछड़ रहे थे। अत: मुख्यधारा में आने हेतु यह परिवर्तन आवश्यक था।
5. वैश्विक सतत विकास लक्ष्य 4 के अंतर्गत आने वाले प्रमुख 7 लक्ष्यों में से 5 लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आधारित है। अत: वर्ष 2030 तक इनकी प्रतिपूर्ति हेतु नई शिक्षा नीति आवश्यक है।

नवीन शिक्षा नीति के समक्ष चुनौतियां

1. सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक खर्च करने की इच्छा शक्ति एक चुनौतीपूर्ण कदम साबित होगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 की वजह से सरकार आर्थिक रूप से कमजोर हुई है। अत: इस महत्वाकांक्षी उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ेगा।
2. स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु जितने बच्चों को शामिल करने की बात इस व्यवस्था में की गई है, उसे पूरा करने हेतु अनेकों नवीन स्कूल परिसरों की आवश्यकता होगी। अत: आगामी 15 वर्षों के दौरान इतने परिसर स्थापित करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य साबित होगा।
3. नई शिक्षा व्यवस्था में वैश्विक प्रभाव को समाहित किया गया है, अत: शिक्षण कार्य महंगा होने की वजह से निम्न वर्ग के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह सकते हैं। यहां चुनौती यह है कि सरकार को इस ओर ध्यान देते हुए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न छात्रवृति योजनाओं एवं आर्थिक सहायता के माध्यम से निम्न वर्ग का विद्यार्थी भी उच्च शिक्षा हासिल कर सकें।
4. नवीन शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य देना तथा उन्हें इस नवीन नीति के अनुसार ढालना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। क्योंकि वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी की वजह से सामूहिक रूप से ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करना खतरनाक साबित हो सकता है। अत: सरकार के लिए तकनीकी माध्यमों के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना अत्यंत कठिनाई भरा कार्य होगा।
5. भारत के अधिकांश राज्य अपने स्वयं के स्कूल बोर्ड चलाते हैं, अत: उन सभी को 'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद' के अंतर्गत रखना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, जो काफी हद तक केंद्र और राज्य के संबंधों पर निर्भर कर सकता है।
6. नवीन शिक्षा नीति-2020, स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव की व्याख्या भी करती है। अत: इस बदलाव को भली-भांति समझने हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होगी, जो इन नवीन शैक्षणिक व्यवस्थाओं को भली-भांति समझते हो, साथ ही विद्यार्थियों के माता-पिता की मानसिक स्थिति को भी नवीन व्यवस्था के अनुसार परिवर्तित करना एक चुनौतीपूर्ण कदम साबित होगा।

7. अनुसंधान कार्य उच्च स्तरीय नहीं है। निजी विश्वविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय की नियुक्ति इन कार्यों को उच्च दिशा की ओर ले जाने हेतु की गई थी। 'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद' के अंतर्गत इन विश्वविद्यालयों को रखना तथा उन्हें नियंत्रित करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य साबित होगा। साथ ही अनुसंधान की दिशा में नित नवीन आयामों को स्थापित करना भी चुनौतीपूर्ण रहेगा।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि नवीन शिक्षा नीति-2020, देश की शिक्षा प्रणाली को उन्नत बनाते हुए निश्चित ही विश्व के समकक्ष स्थापित करेगी। किंतु आवश्यकता इस बात की है कि इसके प्रावधानों को शब्दस: लागू किया जा सके। यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के साथ-साथ रोजगार परक शिक्षा को भी बढ़ावा देगी। साथ ही देश में यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को एक नई दिशा प्रदान करेगी। इस नीति के माध्यम से शिक्षा का स्वदेशीकरण कर नई तकनीकों के साथ सामंजस्य बिठाकर सतत विकास की अवधारणा को पूर्ण किया जा सकता है। इस शिक्षा नीति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से परिवर्तित किया गया है। आशा है यह नीति अपने उद्देश्यों में अवश्य परिणत होगी।

संदर्भ

1. अग्रवाल जे. सी.-2006 'मॉर्डन इंडियन एजुकेशन', क्षिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली।
2. अग्रवाल जे. सी.-2009 'डेवलपमेंट इन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया', क्षिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली।
3. भटनागर सुरेश-2017 'भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास', आर लाल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. गुप्ता वी. के.-2009 'यूजीसी 11जी प्लान', एम डी पब्लिकेशन प्रा. लि., नई दिल्ली।
5. गुप्ता ओमप्रकाश-1993 'हायर एजुकेशन इन इंडिया: सिंस इंडिपेंडेंस', कांसेप्ट पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
6. पाराशर मधु एंड सिंह दीपा-2015 'भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास', एस बी पी डी पब्लिकेशन, आगरा।
7. रजा मूनिस-1991 'हायर एजुकेशन इन इंडिया', एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन' दिल्ली।
8. शर्मा एस. के.-2006 'आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा', डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
9. शर्मा पी. डी.-2016 'भारत में शिक्षा स्तर, समस्याएं एवं मुद्दे', श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
10. ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979, National Institute of Educational Planning and Administration: Draft National Policy on Education 1979, http:èè14.139.60.153/handle/123456789/126
11. नेशनलएजुकेशन पक्लिसी 1986, https://www.google.com/url?sa=kt&source=kweb&rct=j&url=http://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf&ved=2ahUKEwjeocHAz6_vAhXpIbcAHc2iC9AQFjASegQIHRAC&usg=AOvVaw0xizdcjVxfHRx6YYpJRs4L
12. ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf&ved=2ahUKEwjVuevH0K_vAhXr6XMBHSrAB3QQFjADegQIFhAC&usg=AOvVaw31qflSyJgpnVYNTTwg4q2-
13. नेशनल एजुकेशन पक्लिसी 2020, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf&ved=2ahUKEwjmwb_x0K_vAhUT7HMBHYdxDB8QFjAgegQIMxAC&usg=AOvVaw2VOhw52WTOK6owxeeFXyay